



धर्मशाला-176215,

दिनांक: 13 जनवरी, 2025

## कार्यालय आदेश

1. यह कार्यालय आदेश स:1-20/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2024/196-208 दिनांक 13.01.2025 के सन्दर्भ में है।
2. उपायुक्त, काँगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी अद्यतन अधिसूचना संख्या :240-358 /डी.एल.की. दिनांक 13.01.2025 के अलोक में जिला काँगड़ा के उपमंडल देहरा में दिनांक 05.05.2025 को माता श्री बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर मकर सक्रांति के उपलक्ष्य में दिनांक **14.01.2025** को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

(प्रो. सुमन शर्मा)

कुलसचिव

दिनांक: 13 जनवरी, 2025

पृष्ठांकन: समसंख्या।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अधिष्ठाता (अकादमिक), हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
2. समस्त परिसरों के सभी परिसर निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
3. विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि.प्र.के.वि.।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
6. वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनालिस्ट, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
9. आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
11. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व शिक्षकतेर कर्मी, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला/शाहपुर/देहरा।
12. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, धर्मशाला-कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
13. गार्ड फाइल।

कुलसचिव